न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 01/2019 जी.सी.एम.एस. नम्बर :– **2019/00020**
दायर दिनांक :– 01.01.2019 निर्णय दिनांक :– **20.12.2024**

1. हबीब खान पुत्र खेरदीन जाति मुसलमान निवासी देदासरी तहसील बाप जिला फलोदी

–प्रार्थी

बनाम

1. मोहतदीन पुत्र इस्माईलखां जाति मुसलमान निवासी देदासरी तहसील बाप जिला फलोदी
2. लतीफ पुत्र मिरेखां जाति मुसलमान निवासी देदासरी तहसील बाप जिला फलोदी

–अप्रार्थी

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–1. श्री करणीसिंह राठौड़ अधिवक्ता प्रार्थी
2 श्री विजय तंवर अधिवक्ता अप्रार्थी

–:: निर्णय ::–

प्रार्थी ने एक नियमित राजस्व वाद घोषणा एवं जारी करवाने स्थायी निषेधाज्ञा का न्यायालय हाजा में अप्रार्थीगण के विरूद्व पेश किया है प्रार्थी का वाद अभिवचन एवं दस्तावेजात के अधार पर प्रथम दृष्टयां साबित है एवं प्रार्थी को वाद में सफलता मिलने की शत प्रतिशत उम्मीद है। इस्माईलखां की ढाणी पटवार क्षेत्र देदासरी तहसील बाप के खसरा नम्बर 64 रकबा 96–14 बीघा, खसरा नम्बर 242 रकबा 88–00 बीघा कुल रकबा 184–14 बीघा काश्त भूमि प्रार्थी एंव अप्रार्थीगण की संयुक्त खतेदारी अधिकारों व कब्जा काश्त की स्थित है। उक्त वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण प्रत्येक को 1/3–1/3 हिस्से अनुसार कय की हुई है। प्रार्थी अपने 1/3 हिस्सा पर कब्जा काश्त में वर्षो से चला आ रहा है और अपने 1/3 हिस्से पर काश्त कर फसल तथा प्राकृतिक पैदावार प्राप्त कर भूमि का उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। इसलिये प्रार्थी वादग्रस्त भूमि में अपने 1/3 हिस्से की घोषणा करवाने का अधिकारी है। प्रार्थी ने अप्रार्थी से मिलकर वादग्रस्त भूमि का बंटवाडत्रा विलेख सक्षम अधिकारी के समक्ष पेश करने का निवेदन किया तो अप्रार्थीगण ने वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी का हक हिस्सा होने से इन्कार कर उल्टे प्रार्थी को बेदखल करने की धमकी दी अप्रार्थीगण ऐसा करने में कामयाब हो जाते है तो प्रार्थी को अपने जायज अधिकारों की भूमि से वंचित होना पड़ेगा और अपूरणीय क्षति होगी जिसका मूल्याकंन रूपयो में नहीं हो सकेगा इसलिए प्रार्थी दावेदार है एवं अप्रार्थीगण के विरूद्व अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी और प्रार्थना पत्र रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण की और से अधिवक्ता विजय तंवर ने जवाब प्रार्थना पत्र का पेश किया। पत्रावली बहस में रखी गयी।

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सुनी गयी। पत्रावली में संलग्न प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी इत्यादि का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया गया कि विवादग्रस्त खसरान् की भूमि में प्रार्थी का कितनी भूमि पर हक हिस्सा है इसका निर्धारण मूल वाद में किया जाना है ऐसी स्थिति में रेकर्डेड खातेदार को अस्थायी निषेधाज्ञा से नहीं रोका जा सकता है। अतः पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात के आधार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूरणीय क्षति के तीनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

—:आदेश:—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली भांति साबित नहीं होने के कारण अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.12.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)